रजिस्ट्री सं० डीएल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 403] नई दिल्ली, सोमवार अक्तूबर 13, 1997/आश्विन 21, 1919

No. 403] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 13, 1997/ASVINA 21, 1919

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1997

सा.का.नि. 591 (अ).—केन्द्रीय सरकार बाट तथा माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) की धारा 83 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बाट तथा माप मानक (सामान्य) नियम, 1987 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को बाट तथा माप मानक (सामान्य) (द्वितीय संशोधन) नियम, 1997 के नाम से जाना जाएगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. बाट तथा माप मानक (सामान्य) नियम, 1987 के नियम 13 के उप नियम (1) के परन्तुक में "दस वर्ष" शब्द के स्थान पर "बारह वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

[मिसिल सं. डब्ल्यू एम-9 (27)/93]

राजीव श्रीवास्तव, अपर सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम सा.का.नि. 619 (अ) दिनांक 1 जुलाई 1987 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और तदुपरांत इनमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया था :—

1. सा.का.नि. 354 (अ) दिनांक 15-7-1991
2. सा.का.नि. 681 (अ) दिनांक 20-7-92
3. सा.का.नि. 27 (अ) दिनांक 22-1-97

MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 1997

G.S.R. 591 (E) —In exercise of the powers conferred by section 83 of the Standards of Weights and Measures Act, 1976, (60 of 1976), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Standards of Weights and Measures (General) Rules, 1987, namely :—

1. (1) These rules may be called the Standards of Weights & Measures (General) (Second Amendment) Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the proviso to sub-rule (1) of rule 13 of the Standards of Weights and Measures (General) Rules, 1987, for the words "ten years", the words "twelve years" shall be substituted.

[F. No. WM -9(27)/93]

RAJIV SRIVASTAVA, Addl. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR 619 (E) dated 1st July, 1987 and subsequently amended vide :

1. GSR 354 (E) dated 15-7-1991
2. GSR 681 (E) dated 20-7-1992
3. GSR 27 (E) dated 22-1-1997

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997.